

झारखण्ड



सरकार

# कृषि पशुपालन एवं सहकारिता

(पशुपालन प्रभाग)



जिला पशुपालन कार्यालय  
धनबाद ।

**वित्तीय वर्ष 2020-21 में सूकर विकास की योजना का मदवार विवरणी**

क्रमांक	मदवार व्यय की विवरणी	अनुमानित व्यय (राशि रुपये में)
1	(क) उन्नत नरस के 5 सूकर (1 नर + 4 मादा) का मूल्य + परिवहन सहित (उस - 4 माह एवं वजन 40 किलो) रु0 6,000/- प्रति मादा एवं 10,000/- प्रति नर	34,000/-
	(ख) सूकर खाद्यान्न हेतु जी सी ग्राम प्रति दिन औसत की दर से छः माह के लिए अनुमानित 4.5 किलो प्रति दिन पशु खाद्यान्न रुपये 22/- प्रति किलो की दर से	17,800/-
	(ग) (Kitchen / Vegetable waster) आहार के व्यवस्था पर अनुमानित व्यय	2,780/-
	(घ) बीमा 8 प्रतिशत प्रीमियम की दर से	2,720/-
	(ङ) अन्य व्यय (दवा, टीकोषधी, सफाई, रख-रखाव आदि)	500/-
	<b>कुल :-</b>	<b>57,800/-</b> (सत्तावन हजार सात सौ रुपये)
2	नर सूकर के लिए 80 Sq.ft मादा सूकर के लिए 320 Sq.ft एवं सूकर घौना के लिए 480 Sq.ft का सूकर गृह निर्माण।	सूकर गृह का निर्माण कार्य ग्रामीण विकास विभाग (मनरेगा अभिसरण) के अन्तर्गत किया जाएगा।

**वित्तीय वर्ष 2020-21 में बैकयाई लेयर कुक्कुट (लो इनपुट लेयर कुक्कुट पालन) की योजना का मदवार विवरणी**

क्रमांक	मदवार व्यय की विवरणी	अनुमानित व्यय (राशि रुपये में)
1	लेयर बर्ड का दर रुप 35/- प्रति बर्ड (Layer Chicks)। 5 प्रतिशत Mortality को ध्यान में रखते हुए 420 के क्रय हेतु	14,700/-
2	बीमा 6 प्रतिशत प्रीमियम की दर से	880/-
3	भोजन दर-औसत - 3.5 किलोग्राम प्रति बर्ड @ Rs. 25/KG	35,000/-
4	जंग रक्षित पिजड़ा का निर्माण इत्यादि	66,800/-
5	अन्य व्यय (टीकाकरण एवं औषधि इत्यादि)	820/-
	<b>कुल :-</b>	<b>1,18,200/-</b> (एक लाख अठारह हजार दो सौ रुपये)
	<b>निर्माण कार्य</b>	
1	600 sq.ft. लेयर कुक्कुट शेड का निर्माण	लेयर कुक्कुट शेड गृह का निर्माण कार्य ग्रामीण विकास विभाग (मनरेगा अभिसरण) के अन्तर्गत किया जाएगा।

**वित्तीय वर्ष 2020-21 में ब्रायलर कुक्कुट पालन (500 broiler rearing unit) योजना का मदवार विवरणी**

क्रमांक	मदवार व्यय की विवरणी	अनुमानित व्यय (राशि रुपये में)
1	ब्रायलर दर @30/- per broiler chick (परिवहन सहित) 5 प्रतिशत Mortality को ध्यान में रखते हुए 525 के क्रय हेतु	15,750/-
2	बीमा 6 प्रतिशत प्रीमियम की दर से सेवा कर सहित	945/-
3	भोजन के लिए राशि (Rs. 25/- per kg)	37,500/-
4	आवश्यक उपकरण, आवासन एवं विद्युत व्यवस्था आदि रु0 25/- प्रति बर्ड	12,500/-
5	अन्य व्यय (टीकाकरण एवं औषधि इत्यादि)	805/-
	<b>कुल :-</b>	<b>67,500/-</b> (सहस्रठ हजार पांच सौ रुपये)
1	500 sq.ft. ब्रायलर शेड का निर्माण (गोदाम सहित 50 sq.ft)	ब्रायलर कुक्कुट शेड गृह का निर्माण कार्य ग्रामीण विकास विभाग (मनरेगा अभिसरण) के अन्तर्गत किया जाएगा।

**विशेष जानकारी के लिए मोबाईल नं0 971520500 / 8228805134 पर सम्पर्क करें।**

## चयन की प्रक्रिया :-

- (1) गाँव का चयन क्लस्टर के आधार पर किया जाना है ।
- (2) चयनित गाँवों के लाभुकों का चयन संबंधित ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा । चयन प्रक्रिया में निम्न बातों का पालन करना अनिवार्य है :-
- (क) चयनित गाँवों के लाभुक स्थानीय नियसी हो तथा चयनिक लाभुकों द्वारा इस संबंध में आवासीय प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र (जहाँ लागू हो) जमा करना अनिवार्य है ।
- (ख) चयन प्रक्रिया में ऐसे परिवार जो पशुधन के गतिविधि से जुड़े हुए हैं, उन्हें प्राथमिकता दिया जाएगा ।
- (ग) चयनित गाँव के ग्राम सभा द्वारा लाभुकों का चयन किया जाना है । तदोपरान्त लाभुकों की सूची प्रखण्ड स्तरीय समिति के अनुसंशा से जिला को भेजा जाएगा ।
- (घ) प्रखण्ड स्तरीय समिति से प्राप्त लाभुकों की सूची का अन्तिम रूप से अनुमोदन उपायुक्त महोदय के अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाना है ।

अतः आप सभी योजना का लाभ लने हेतु इच्छुक किसान एवं पशुपालक भाईयों से अनुरोध है कि अग्रतर कार्रवाई हेतु अपने प्रखण्ड के प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी के माध्यम से आवेदन करें ।

क्रमांक	कार्य विवरणी	अनुमानित व्यय (राशि रुपये में)
1	2	3
1	15 (पन्द्रह) दिनों का 15 (पन्द्रह) लो इनपुटस बतल गृहों का वितरण लाभुक को उनके आवास में उपलब्ध कराया जाएगा । लाभुकों के घर की दीवार पर योजना का धोरा एवं चयनित लाभुक के नाम एवं पता लेखन सहित (15X Rs. 102/- प्रति पशु)	1,530
2	दवा, टीकौषधि एवं रात्रि आवासन हेतु छज्जा (Shelter) की व्यवस्था	170
	<b>योग :-</b>	1,700 (एक हजार सात सौ रुपये)

## वित्तीय वर्ष 2020-21 में बकरा विकास की योजना के तहत मॉडल बकरा-बकरी इकाई का मदवार विवरणी

क्रमांक	मदवार व्यय की विवरणी	अनुमानित व्यय (राशि रुपये में)
1	चार ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरी @ Rs. 4,000 एक ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरा @ Rs. 5,000	21,000/-
2	बीमा 8 प्रतिशत के दर से	1,680/-
3	Medicine / Dewormer आदि	1,000/-
4	अन्य व्यय (Goat specific Mineral Mixture & other feed supplement)	1,120/-
	<b>कुल :-</b>	24,800/- (चौबीस हजार सात सौ रुपये)

# कार्यालय, जिला पशुपालन पदाधिकारी, धनबाद ।

## आम सूचना

राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण पशुपालकों की आर्थिक स्थिति को सुधार करने तथा ग्रामीण स्तर पर युवाओं को स्व-नियोजित कर आत्मनिर्भर बनाने एवं उनके पलायन को रोकने के उद्देश्य से पशुधन विकास के लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का कार्यान्वयन जिला में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग अन्तर्गत पशुपालन विभाग द्वारा किया जाना है ।

पशुपालन प्रक्षेत्र की योजनाएं :-

क्रमांक	योजना का नाम	प्रस्तावित कुल राशि	अभ्युक्ति
1	बकरा विकास योजना (ब्लैक बंगाल नस्ल की 4 मादा एवं 1 नर की इकाई 4+1) (10-20 इकाईयों के क्लस्टर में)	24,800/-	<p>(1) यह कार्यक्रम APL/BPL वर्ग के सभी महिला-पुरुष लाभुकों/स्वयं सहायता समूह/सहकारी समिति के सदस्यों के लिए है, जिसमें BPL परिवार की महिलाओं/असहाय विधवा औरतों/दिव्यांग/निसंतान दम्पति (कम-से-कम 50 वर्ष उस) को लक्ष्य के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर योजना का लाभ दिया जाएगा ।</p> <p>(2) इस योजना के तहत असहाय विधवा औरतों/दिव्यांग/निसंतान दम्पति (जिनका उस कम-से-कम 50 वर्ष हो) के लिए अनुदान के वास्तविक लागत का 90 प्रतिशत अन्य सभी लाभुकों को वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत देय होगा</p>
2	सूकर विकास योजना (T & D एवं अन्य विदेशी नस्ल का 4 मादा एवं 1 नर) (4+1) (10-20 इकाईयों के क्लस्टर में)	57,800/- (सूकर गृह का निर्माण कार्य ग्रामीण विकास विभाग) (मनरेगा अभिसरण के अन्तर्गत किया जाएगा)	
3	कुक्कुट विकास योजना (1) बैकयार्ड लेयर कुक्कुट की योजना (Chicks आधारित बैकयार्ड कुक्कुटपालन की एक इकाई योजना के तहत 400 लेयर बर्ड का पालन) (5 इकाईयों के क्लस्टर में)	1,18,200/- (लेयर कुक्कुट शेड का निर्माण कार्य ग्रामीण विकास विभाग (मनरेगा अभिसरण के अन्तर्गत किया जाएगा)	
	(2) ब्रायलर कुक्कुट पालन योजना (500 ब्रायलर (Chicks) (5 इकाईयों के क्लस्टर में)	67,500/- (ब्रायलर कुक्कुट शेड का निर्माण कार्य ग्रामीण विकास विभाग (मनरेगा अभिसरण के अन्तर्गत किया जाएगा)	
4	बत्तख चूजा वितरण की योजना (15 बत्तख चूजा)	1,700/-	<p>(1) यह कार्यक्रम APL/BPL वर्ग के सभी महिला-पुरुष लाभुकों/स्वयं सहायता समूह/सहकारी समिति के सदस्यों के लिए है, जिसमें मत्स्य पालन कर रहे लाभुकों को प्राथमिकता के आधार पर योजना का लाभ दिया जाएगा ।</p> <p>(2) इस योजना के तहत अनुदान वास्तविक लागत का 90 प्रतिशत अथवा अधिकतम 1,530/- रु० दोनों में से जो भी कम हो देय होगा ।</p>